



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275761
CG-DL-E-25082026-275761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4483]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4483]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4666(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का प्रयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सहायिकिया, फायदे और सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता तथा दक्षता का संवर्धन करता है;

और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श के पश्चात, सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार अधिप्रमाणन नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने तारीख 6 मई, 2026 के पत्र संख्या ईएफ. संख्या 13(16)/2022-ईजी-II द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मंत्रालय कहा गया है), भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सरकार कहा गया है), को यह अनुज्ञात किया था तथा उक्त प्रयोजन के लिए, उक्त मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय रोजगार महानिदेशालय (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त संगठन कहा गया), को अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात किया जाए और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने हेतु अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या के प्रयोग करने की अनुमति दी जाए तथा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की

धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन इसे अधिसूचित किया जाए;

और उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नियोजन संबंधी सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रयोजन कहा गया है) के लिए आधार अधिप्रमाणन रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास संबंधी जानकारी, शिक्षता के अवसर, रोजगार मेलों तथा करियर कार्यक्रमों के आयोजनों सहित नियोजन संबंधी सहायता के लिए पोर्टल या मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए, केवल नियोजकों, परामर्शदाताओं, मार्गदर्शकों, प्रशिक्षण प्रदाताओं, रोजगार चाहने वालों तथा भर्ती अभिकरणों या करियर केंद्रों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा जिससे कि दोहराव, प्रतिरूपण और कपटपूर्ण गतिविधियों का निवारण किया जा सके और हाँ/नहीं या/और ई-केवाईसी अधिप्रमाणन प्रसुविधाओं [जिसे इसने इसके पश्चात उक्त उपयोग प्रकरण कहा गया है] का उपयोग करते हुए दक्ष एवं समयबद्ध सत्यापन को समर्थ किया जा सके।

अतः, अब, उक्त मंत्रालय अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्: -

1. (1) संगठन इसमें अधिप्रमाणन के प्रयोजन हेतु आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर है और उक्त संगठन आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों की सूचना देगा तथा आधार संख्या धारक द्वारा आधार अधिप्रमाणन से इंकार करने, या असमर्थ होने की स्थिति में, उसे किसी सेवा से इंकार नहीं करेगा, अर्थात्: -

(क) स्थायी खाता संख्या (पैन)

(ख) पासपोर्ट

(ग) मतदाता पहचान पत्र

(घ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस

(ङ) अन्य: रोजगार विनिमय पहचान संख्या, यूएन (ईपीएफओ), यूएन (ई-श्रम)

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. डीजीई-यू-11011/16/2025-एनसीएस(कॉर्ड)/आधार फॉर एनसीएस]

अंजलि रावत, उप महानिदेशक (रोजगार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4666(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. eF. No. 13(16)/2022-EG-II, dated 6th May, 2026 to the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the said Ministry), Government of India (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) and for the said purpose, the Directorate General of Employment, an attached of the said Ministry (hereinafter referred to as the said organisation) may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for employment related assistance (hereinafter referred to as the said purpose) as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules on voluntary basis only for establishing the identity of the employers, counsellors, mentors, training providers, jobseekers, and authorised signatories of recruitment agencies or career centers, for accessing its portal or mobile application for employment related assistance including job matching, career counselling, vocational guidance, information on skilling, apprenticeship opportunities, organising of job fairs and career events to prevent de-duplication, impersonation and fraudulent activities, and enabling efficient and timely verification, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities [hereinafter referred to as the use case(s)].

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The organisation shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.
(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis and the organisation shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:
 - a. Permanent Account Number (PAN)
 - b. Passport
 - c. Voter Identity Card
 - d. Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988
 - e. Others: Employment Exchange ID, UAN(EPFO),UAN(e-Shram)
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. DGE-U-11011/16/2025-NCS(Coord)/AadhaarForNCS]

ANJALI RAWAT, Dy. Director General(E)